न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर—05 / 2022 (2022 / 69) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—नारायणसिंह पुत्र रामसिंह निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—रतनसिंह पुत्र रामसिंह निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—लादुसिंह पुत्र रामसिंह निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—शान्ताकंवर पुत्री रामसिंह निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—सीताकवंर पुत्री रामसिंह निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6—सोहनकंवर पत्नि रामसिंह निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक 28.02.2022

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के पिता रामसिंह पिता चतरसिंह के नाम साबिक खसरा नम्बर 569 / 1 रकबा 5 बीघा भूमि खातेदारी से दर्ज थी जिसमें कुआं भी नक्शे में दर्ज था। नवीन भू प्रबन्ध के दौरान साबिक आराजी संख्या 569 / 1 रकबा 5 बीघा के नवीन खसरा नम्बर 3 रकबा 1.08 है0 दर्ज किया मगर नक्शा 1.08 है0 का नही बनाया जाकर नक्शा छोटा कर दिया गया एवं कुएं को बाहर निकालकर खसरा संख्या 2 कायम कर दिया गया जबकि वर्तमान में खसरा नम्बर 3 का रकबा 1.02 है0 रकबा बरारी करने पर बनता है। अतः वर्तमान खसरा नम्बर 3 का रकबा रेकार्ड में 1.08 है0 के बजाय 1.02 है0 एवं खसरा नम्बर 2 का रकबा 0.01 है0 एवं खसरा नम्बर 1 मे से 0.05 है0 भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज करायी जावे एवं खसरा नम्बर 1 का मूल रकबा 0.18 है0 यथावत रखते हुए नक्शे में तरमीम का आदेश प्रदान करावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी तहसीलदार रायपुर से जवाब के रूप में मौका रिर्पोट ली गई जो शामिल पत्रावली की गई।

तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम गोविन्दपुरा में प्रार्थी के नाम पर खसरा नम्बर 3 रकबा 1.08 है0 भूमि दर्ज रेकार्ड है। सेटलमेन्ट से पूर्व मूल ग्राम चारोट से नवीन ग्राम गोविन्दपुरा बना है। खसरा नम्बर 3 रकबा 1.08 है0 के साबिक नम्बर 569 / 1 रकबा 5 बीघा है। पुराने रेकार्ड व नक्शे में प्रार्थी की आराजियात में कुआं स्थित था। सेटलमेन्ट के दौरान नवीन खसरा नम्बर 3 रकबा 1.08 है0 एवं कुएं के खसरा नम्बर 2 रकबा 0.01 है0 बिलानाम दर्ज कर दिये गये। अतः गत रकबा 5 बीघा के मुकाबले नवीन खसरा नम्ब[illegible] किया गया है किन्तु खसरा नम्बर 3 के नक्शे को छोटा कर दिया और रकब[illegible]रने पर 1.02 ही रकबा बैठता है और कमी रकबा खसरा नम्बर 1 व [illegible] हुए न[illegible] को बड़ा कर दिया जिससे दुरस्त किया जाना अंकित किया गया है।

मैने पत्रावली में उपल[illegible] राजस्व रेकार्ड का [illegible]न किया एवं तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थीगण के नाम साबिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.03.10 11:41:20 IST
Reason: SelfAttested

आराजी साबिक नम्बर 569/1 रकबा 5 बीघा भूमि दर्ज रेकार्ड थी। इसी खसरा नम्बर में प्रार्थीगण के द्वारा कुआं खोदकर भूमि को सिंचित की जा रही थी जो खसरा संवत 2049 से 2052 से स्पष्ट प्रमाणित है। नवीन भू प्रबन्ध के दौरान भू प्रबन्ध विभाग द्वारा साबिक आराजी संख्या 569/1 के नवीन खसरा नम्बर 3 कायम कर रकबा 1.08 है0 दर्ज किया गया जो साबिक के मुकाबले सही है किन्तु नवीन आराजी संख्या 3 के नक्शे की आकृति को छोटा कर दिया जिससे आराजी संख्या 3 के नक्शे की रकबा बरारी करने पर रकबा 1.02 है0 ही बनता है और कमी रकबे को आराजी संख्या 2 व 1 में शामिल कर रेकार्ड में दर्ज रकबे से बढ़ा दिया है। प्रार्थीगण द्वारा साबिक नवीन सेटलमेन्ट से पूर्व ही अपनी साबिक आराजी संख्या 569/1 में चाह खोदकर भूमि को सिंचित की जा रही थी जिसका इन्द्राज साबिक खसरा रोटेशन सवंत 2049 से 2052 में किया हुआ है एवं खसरा के कॉलम संख्या 16, 26, 36, 46 में चाह का अंकन किया हुआ है फिर भी भु प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रार्थी के खाते में दर्ज नही कर नवीन खसरा नम्बर देते हुए उक्त नवीन खसरा नम्बर 2 को बिलानाम दर्ज कर दिया गया है एवं शेष रकबे को खसरा नम्बर 1 में सम्मिलित करते हुए बिलानाम दर्ज कर दिया गया है जो भू प्रबन्ध विभाग की स्पष्ट त्रुटी प्रतीत होती है जिसको दुरस्त किया जाकर प्रार्थीगण के नाम जमाबन्दी में दर्ज आराजी संख्या 3 रकबा 1.08 है0 के बजाय 1.02 है0 एवं कमी रकबा आराजी संख्या 2 रकबा 0.01 है0 व आराजी संख्या 1 रकबा 0.18 है0 का नक्शा बड़ा होने से 0.05 है0 रकबा आराजी संख्या 3 की पश्चिमी मेड़ के सहारे सहारे मिलाते हुए नक्शा शुद्व किया जाना एवं आराजी संख्या 1 का रकबा 0.18 है0 यथावत रखा जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया है कि पटवार हल्का खेमाणा के ग्राम गोविन्दपुरा के नवीन आराजी संख्या 3 रकबा 1.08 है0 भूमि के मुकाबले नक्शा आकृति का रकबा 1.02 है0 ही होने से आराजी संख्या 3 का रकबा 1.02 है0 दर्ज करते हुए कमी रकबे की पूर्ति नवीन आराजी संख्या 2 रकबा 0.01 है0 भूमि एवं आराजी संख्या 1 रकबा 0.18 है0 मे से 0.05 है0 भूमि की सीमा तक आराजी संख्या 3 के नक्शे की पश्चिमी सीमा को दुरस्त की जावे जिसका बटा नम्बर 3/1 दिया जाकर आराजी संख्या 1 का रकबा 0.18 है0 राजस्व रेकार्ड में यथावत रखा जावे। इसी अनुसार राजस्व नक्शे में आराजी संख्या 3 की तरमीम दुरस्त की जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति के साथ लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28.02.2022

(सुन्दर लाल बम्बोडा)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

रायपुर (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.03.10 11:41:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर—05/2022 (2022/69) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—नारायणसिंह पुत्र रामसिंह निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—रतनसिंह पुत्र रामसिंह निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—लादुसिंह पुत्र रामसिंह निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—शान्ताकंवर पुत्री रामसिंह निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—सीताकवंर पुत्री रामसिंह निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6—सोहनकंवर पत्नि रामसिंह निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा इन्द्राज दुरस्ती बाबत्

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया है कि पटवार हल्का खेमाणा के ग्राम गोविन्दपुरा के नवीन आराजी संख्या 3 रकबा 1.08 है0 भूमि के मुकाबले नक्शा आकृति का रकबा 1.02 है0 ही होने से आराजी संख्या 3 का रकबा 1.02 है0 दर्ज करते हुए कमी रकबे की पूर्ति नवीन आराजी संख्या 2 रकबा 0.01 है0 भूमि एवं आराजी संख्या 1 रकबा 0.18 है0 मे से 0.05 है0 भूमि की सीमा तक आराजी संख्या 3 के नक्शे की पश्चिमी सीमा को दुरस्त की जावे जिसका बटा नम्बर 3/1 दिया जाकर आराजी संख्या 1 का रकबा 0.18 है0 राजस्व रेकार्ड में यथावत रखा जावे। इसी अनुसार राजस्व नक्शे में आराजी संख्या 3 की तरमीम दुरस्त की जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल हो।

हुक्मनामा आज दिनांक 28.02.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

28.02.2022
(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.03.10 11:41:20 IST
Reason: SelfAttested